भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4489
दिनांक 19 मार्च, 2026

ओएमसी द्वारा पेट्रोल पंपों का आवंटन

†4489. **श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषादः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली एनसीआर और अन्य महानगरों में वर्ष 2005 से तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), रक्षा और विधवा श्रेणियों के आवेदकों को आवंटित खुदरा आउटलेट की वर्षवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) पिछले दस वर्षों में सामान्य श्रेणी के आवेदकों को शामिल करके पुनर्गठित की गई मूल रूप से एससी/एसटी/रक्षा/विधवा श्रेणी के आवेदकों को आवंटित आउटलेट की संख्या का वर्षवार और आउटलेटवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एससी/एसटी श्रेणी के आवेदकों को मूल रूप से आवंटित पेट्रोल पंपों की संख्या प्रमुख शेयरधारक के बिना अल्पसंख्यक साझेदारों द्वारा संचालित की जा रही है (बेनामी संचालन) और क्या ओएमसी अधिकारियों द्वारा इसका पता लगाया गया है और यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) दिल्ली/एनसीआर, गुड़गांव और अन्य प्रमुख शहरों में 2005 के बाद सामान्य श्रेणी के आवेदकों को आवंटित खुदरा आउटलेट की संख्या का ब्यौरा क्या है, जहां आवंटियों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वयं भूमि की व्यवस्था करनी थी; और

(ङ) 2011 से अब तक एचयूडीए की भूमि पर आवेदकों को आवंटित खुदरा आउटलेट की संख्या कितनी है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के खुदरा बिक्री केंद्र (आरओ) के लिए 'डीलर चयन दिशानिर्देश, 2023' में, अन्य बातों के साथ-साथ, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, जहाँ एसटी श्रेणी के लिए आरक्षण क्रमशः 70%, 80%, 80% और 90% है,को छोड़कर खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिप के आवंटन में एससी/एसटी के लिए 22.5% और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान है। एससी/एसटी, ओबीसी और 'ओपन' श्रेणियों के भीतर, 'संयुक्त श्रेणी-1' (सीसी1) के तहत रक्षा

कर्मियों के साथ-साथ अर्ध-सैन्य कर्मियों/केंद्रीय/राज्य सरकार और केंद्रीय/राज्य के पीएसयू कर्मचारियों के लिए भी आरक्षण है। हालाँकि, आरओ के आवंटन में 'विधवा' श्रेणी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। वर्ष 2005 से दिल्ली-एनसीआर और अन्य मेट्रो शहरों में सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी द्वारा अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और रक्षा कर्मियों (सीसी -1 के तहत) से संबंधित आवेदकों को आवंटित आरओ की कुल संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी द्वारा एससी/एसटी /रक्षा कर्मियों (सीसी -1 के तहत) को मूल रूप से आवंटित किए गए आरओ जिन्हें बाद में सामान्य श्रेणी के आवेदकों को शामिल करके पुनर्गठित किया गया था, का 2015-16 से 2025-26(फरवरी, 2026 तक) तक विगत दस वर्षों का वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक-2 में दिया गया है।

(ग) तमिलनाडु के त्रिची में सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी के एक आरओ को बेनामी संचालन के कारण समाप्त कर दिया गया था।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी ने 2005 के बाद दिल्ली/एनसीआर, गुड़गांव और अन्य प्रमुख शहरों (मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत और जयपुर) में डीलरशिप चयन दिशानिर्देशों के माध्यम से आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर सामान्य श्रेणी के आवेदकों को 3250 आरओ आवंटित किए हैं।

(ड़) सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी ने 2011 से लेकर आज की तारीख तक हरियाणा में एचयूडीए की ज़मीन पर 22 आरओ आवंटित किए हैं।

अनुलग्नक - 1

'ओएमसी द्वारा पेट्रोल पंपों का आवंटन' के संबंध में संसद सदस्य श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद द्वारा दिनांक 19.03.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4489 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2005 से लेकर अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ओएमसी) द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/रक्षा कर्मियों को (सीसी-1 के अंतर्गत) आवंटित (कमीशन किए गए) आरओ की वर्ष-वार संख्या।

वर्ष	दिल्ली एनसीआर			मुंबई			कोलकाता			चेन्नई		
	एसी	एसटी	डीईएफ	एससी	एसटी	डीईएफ	एससी	एसटी	डीईएफ	एससी	एसटी	डीईएफ
2005-06	13	3	4	0	0	0	0	0	0	6	0	0
2006-07	10	1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
2007-08	17	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0
2008-09	18	0	3	2	0	1	1	0	0	5	0	0
2009-10	18	0	5	0	0	1	2	0	0	1	0	0
2010-11	10	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0
2011-12	11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-13	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013-14	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014-15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-16	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016-17	13	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2017-18	35	2	4	0	0	0	0	0	0	3	1	0
2018-19	22	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2019-20	17	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
2020-21	71	2	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0
2021-22	40	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2022-23	29	3	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
2023-24	28	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0
2024-25	44	4	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2025-26 (फरवरी, 2026 तक)	36	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

स्रोत – सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज

अनुलग्नक -2

'ओएमसी द्वारा पेट्रोल पंपों का आवंटन' के संबंध में संसद सदस्य श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद द्वारा दिनांक 19.03.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4489 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी द्वारा मूल रूप से एससी/एसटी/रक्षा कर्मियों (सीसी-1 श्रेणी के अंतर्गत) को आवंटित आरओ की वर्ष-वार संख्या, जिनका बाद में पिछले 10 वर्षों के दौरान सामान्य श्रेणी के आवेदकों को शामिल करके पुनर्गठित किया गया।

पुनर्गठन का वर्ष	रक्षा (सीसी-1 श्रेणी के अंतर्गत)	एससी	एसटी
2015-16	2	6	1
2016-17	3	17	4
2017-18	4	21	2
2018-19	7	25	10
2019-20	5	47	13
2020-21	10	62	24
2021-22	6	116	32
2022-23	6	134	44
2023-24	8	138	50
2024-25	15	171	62
2025-26	2	30	15
2025-26 (फरवरी, 26 तक)	6	80	50

स्रोत – सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज